



उत्तर प्रदेश शासन
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2
संख्या-412/2026/1079(1)/2026/27-2002-255-2026-2
लखनऊ :: दिनांक 28 मई, 2026

शुद्धि-पत्र

शासनादेश संख्या- संख्या-388/2026/1079/2026/27-2002/255/2026-2 दिनांक 25.05.2026 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य पोषित मद के अन्तर्गत जनपद शामली में यमुना नदी के बायें किनारे पर स्थित यमुना बढ़ी रिंग बंध पर स्थित स्पर एवं स्टड के सुदृढीकरण कार्य की परियोजना की रू० 212.14 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी। उक्त आदेश की तालिका में अंकित संगठन/मण्डल/खण्ड के कॉलम में "मु०अभि०(गण्डक) गोरखपुर/गण्डक सिंचाई कार्य मण्डल-2, गोरखपुर/ सिंचाई खण्ड-2, महाराजगंज" अंकित हो गया है।

अतः उक्त आदेश के तालिका में अंकित संगठन/मण्डल/खण्ड के कॉलम में "मु०अभि० (गण्डक) गोरखपुर/गण्डक सिंचाई कार्य मण्डल-2, गोरखपुर/सिंचाई खण्ड-2, महाराजगंज" के स्थान पर "मु०अभि० (यमुना) ओखला/ड्रेनेज मण्डल, गाजियाबाद/ड्रेनेज खण्ड, शामली (मुजफ्फर नगर)" पढ़ा जाये एवं शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाये। शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

सिद्धा शरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज ।
- (2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज ।
- (3) प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (4) प्रमुख अभियन्ता(परि० एवं नियो०), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (5) सम्बन्धित जिलाधिकारी ।
- (6) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र०, प्रयागराज ।
- (7) नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, शासन।
- (8) मुख्य अभियन्ता, अनु० एवं नियो० (बाढ़), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (9) सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०।
- (10) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (11) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (12) अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ।
- (13) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
- (14) सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9, उ०प्र० शासन।
- (15) गार्ड बुक।

आज्ञा से,
सिद्धा शरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है